

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4 / निदेश०आ०वि०सं०धा०(वे०आ०)-181-02 / 2026- 57

प्रेषक,
निदेशक

सेवा में,
जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक-20/05/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल ₹2,96,775/- (दो लाख छियानबे हजार सात सौ पचहत्तर रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में कुल ₹2,96,775/- (दो लाख छियानबे हजार सात सौ पचहत्तर रु०) मात्र की आवंटन दी जाती है।

2-कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0003-आवासीय विद्यालय-विषय शीर्ष-0003.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ विपत्र कोड सं०-44-2225012770003 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

3-इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ होंगे। उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4-वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5-संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6-संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7-आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)-181-02/2026- 57

पटना, दिनांक - २०/०९/२०२६

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उप कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक